

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

पार्थी/वादी

मुवालाल

केरम प्रकरण : वादपत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

गणेशराम वगैरह

मुकदमा नं. 38/2021

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
7.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार/अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। प्रकरण दिनांक 01.03.2025 से तलबी स्तर पर स्तर पर लम्बित चल रहा है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील वादी/पार्थी को अनेक अवसर दिये गये हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वकील पार्थी/वादी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये अन्तिम अवसर उपस्थिति एवं <u>अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण</u> की तलबी की जाने हेतु गत तारीख पेशी 05.09.2024 को प्रदत्त किया गया था तथा साबिका आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने की हिदायत दी गई थी। परन्तु वकील वादी/पार्थी ने आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है, ना ही स्वयं। उपस्थित आये हैं। अतः वकील वादी/पार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 05 के तहत अमद तकमील में खारिज किया जाता है।	



(दिव्या सोनी)

मुख्य न्यायाधीश

नावां (डीडवाना-कुचामन)